

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू-प्रबंध), वन भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक/एफ-5/1215/2023/10-11/738

भोपाल, दिनांक 02-02-24

प्रति,

कार्यपालन यंत्री,
लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग,
सागर, मध्यप्रदेश।

विषय:- पन्ना जिले में पन्ना टाइगर रिजर्व के बफर जोन से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 43 गुलगंज-अमानगंज-पवई-कटनी मार्ग के विस्तार/चौड़ीकरण हेतु 31.82 हेक्टेयर वनभूमि (ऑनलाईन आवेदित 31.90 हे.) लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग, सागर को उपयोग पर देने बाबत।

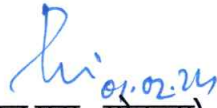
संदर्भ:- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल का पत्र क्रमांक/6-MPR 011/2023-BHO/283 दिनांक 24.01.2024

-----0-----

उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करें, त्वरित संदर्भ हेतु छायाप्रति संलग्न है। भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भोपाल ने प्रकरण में सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने के पूर्व 03 बिन्दुओं पर जानकारी चाही गई है।

अतः प्रकरण में भारत सरकार के चाहे अनुसार आपसे संबंधित जानकारी वन मण्डलाधिकारी के माध्यम से शीघ्र इस कार्यालय को भिजवायें, ताकि प्रकरण में सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त करने की कार्यवाही की जा सके।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।


(एच.एस. मोहन्ता)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

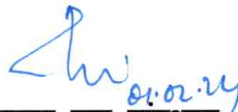
पृ. क्रमांक/एफ-5/1215/2023/10-11/739

भोपाल, दिनांक 02-02-24

प्रतिलिपि:-

1. क्षेत्र संचालक, पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना, मध्यप्रदेश।
2. उप संचालक, पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ प्रेषित।


अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल



भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE
क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल/ REGIONAL OFFICE, BHOPAL



Kendriya Paryavaran Bhavan, Link Road No.3, E-5, Ravi Shankar Nagar,
BHOPAL - 462016 (M.P.)

TEL: 0755-2466525 E-mail: rowz.bpl-mef@nic.in

क्रमांक: 6-एमपीआर 011/2023-बीएचओ/283
प्रति,

दिनांक : 24 /01/2024

प्रधान सचिव (वन)

मध्यप्रदेश शासन,

वल्लभ भवन, भोपाल (मध्यप्रदेश) ।

विषय: पन्ना जिले में पन्ना टाइगर रिजर्व के बफर जोन से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-43 गुलगंज-अमानगंज-पवई-कटनी मार्ग के विस्तार/ चौड़ीकरण हेतु 31.82 हेक्टेयर (Online proposed 31.90 ha) संरक्षित वनभूमि कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग को उपयोग पर देने बाबत ।

संदर्भ: 1. नोडल अधिकारी, मध्यप्रदेश का पत्रांक एफ-5/1215/2023/10-11/5471 दिनांक 27/12/2023.

2. आर.ई.सी. कार्यवृत्त क्र. 6-REC10/2014-BHO/Part-III/277 दिनांक 24/01/2024.

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्रों के संबंध में अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रस्ताव से संबंधित आर.ई.सी. बैठक दिनांक 10/01/2024 को आयोजित की गयी । बैठक में लिये गये निर्णय एवं कार्यवृत्त दिनांक 24/01/2024 (संदर्भित पत्र-2) अनुसार अन्य वांछित जानकारी/स्पष्टीकरण की आवश्यकता है जो कि निम्नलिखित है:-

1. The State Govt. shall submit comments of CWLW, Madhya Pradesh.
2. The User Agency shall submit an undertaking that the Wildlife Management Plan and assurance to comply with the guidelines regarding depositing 2% of project cost as part of Wildlife Management Plan in CAMPA.
3. After examining the proposal it is not clear whether the existing width which is said to have been built before 1980, has also been included for diversion. Otherwise, in this context, take note of the guideline dated 15.03.2023 and make sure to act accordingly.

उपरोक्त जानकारी प्राप्त होने के पश्चात ही प्रस्ताव में आगामी कार्यवाही की जायेगी ।

(डॉ. योगेश गैरोला)

तकनीकी अधिकारी (वानिकी)

प्रतिलिपि:

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) एवं नोडल अधिकारी, वन विभाग, वन भवन, तुलसीनगर, भोपाल ।